न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

भंवरसिंह पुत्र श्री धनसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-कैलाशनगर, तह.शिवगंज, जिला-सिरोही

राजस्व निगरानी संख्याः 28/2016

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि-आवंटन) नियम, 1970"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दीपक बोडाना, अप्रार्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 07 नवम्बर, 2017**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी भंवरसिंह पुत्र श्री धनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- कैलाशनगर को ग्राम कैलाशनगर, पटवार हल्का कैलाशनगर, तहसील- शिवगंज के खसरा संख्या 3267/1 रकबा 4.00 बीघा किस्म नाला भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दीपक बोडाना उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा ग्राम कैलाशनगर, पटवार हल्का कैलाशनगर में खसरा संख्या 3267/1 रकबा 4 बीघा कृषि भूमि का आवंटन किया गया था। अप्रार्थी का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त लगभग 40-45 वर्षो से अपने बाप दादाओं के समय से चला आ रहा है, इसी कारण से राज्य सरकार द्वारा अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी के नाम से गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड एवं खसरा गिरदावरी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2071-2074 के अनुसार उक्त भूमि पर अप्रार्थी ने अरण्डी व बाजरी की फसल बोई हुई जिसका इन्द्राज गिरदावरी रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से किया हुआ है। अप्रार्थी को आवंटित भूमि की समस्त शर्तो की पालना की गई, तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इस बाबत स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मात्र राजस्व रेकर्ड में भूमि की किस्म नाला बताई गई है। जबकि मौके पर वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी तरह का कोई नाला नही है, बल्कि मौके पर भूमि समतल व

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

एकसार है। राजस्व रेकर्ड में कई वर्षो पूर्व भूमि की किस्म नाला के रुप में दर्ज थी तब से ही उक्त भूमि की किस्म नाला के रुप में दर्ज है। मौके पर वास्तव में उक्त भूमि पर अप्रार्थी कई वर्षो से काश्त कर रहा है एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर नाला का कोई अस्तित्व विद्यमान नही है। राज्य सरकार द्वारा भूप्रबन्ध की कार्यवाही की गई थी, परन्तु भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान उक्त नाला किस्म को परिवर्तन नही करने से राजस्व रेकर्ड में नाला दर्ज है, मौके पर किसी तरह का कोई नाला विद्यमान नही है। अप्रार्थी का मौके पर कब्जा काश्त है एवं मौके पर फसल बोई हुई है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सारहीन है। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब में विशेष आपत्ति में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र सरकारी भूमि का आवंटन निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है, परन्तु अप्रार्थी को आवंटित भूमि के आवंटन आदेश का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नही किया गया एवं आवंटन आदेश की प्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही की गई है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी भंवरसिंह को ग्राम कैलाशनगर, पटवार हल्का कैलाशनगर के खसरा संख्या 3267/1 रकबा 4.00 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया था। जबकि राजस्व रेकर्ड अनुसार ग्राम कैलाशनगर के खसरा संख्या 3267/1 रकबा 4.00 बीघा भूमि की किस्म नाला दर्ज है तथा नाला किस्म की भूमि का आवंटन विधि विरुद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अर्न्तगत जलग्रहण / जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन/नियमन नही किया जा सकता है तथा न ही ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भोत होते है। अप्रार्थी को उक्त भूमि का किया गया आवंटन धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के विपरित होने से अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी का अपने पूर्व रसाधिकारियों के जरिये कब्जा-काश्त था तथा पुराना कब्जा-काश्त के आधार पर ही अप्रार्थी को उक्त कृषि भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्णत: पालना की गई है। अप्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा-काश्त लगातार चला आ रहा है तथा खसरा गिरदावरी में भी अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर काश्त की जाना स्पष्ट रुप से अंकित है। उक्त भूमि के मौके पर कोई नाला अस्तित्व में नही है तथा न ही नाले जैसे कोई हालात मौके पर मौजूद है। मौके पर उक्त भूमि समतल एवं एकसार है। वर्तमान में भी मौके पर अप्रार्थी की फसल खडी है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज ने जिस आवंटन आदेश को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उसका उल्लेख प्रार्थना पत्र में नही किया है एवं न ही आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत की है, इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि अप्रार्थी

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

श्री भंवरसिंह पुत्र श्री धनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- कैलाशनगर को ग्राम कैलाशनगर, पटवार हल्का कैलाशनगर के खसरा संख्या 3267/1 रकबा 4 बीघा किस्म नाला भूमि का आवंटन किया गया है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी के नाम बतौर गैर खातेदार दर्ज है।

प्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज का मुख्यत: कथन यह है कि "रेकर्ड में भूमि की किस्म नाला दर्ज है।" इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2071-74 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम कैलाशनगर, पटवार हल्का कैलाशनगर के खसरा संख्या 3267/1 रकबा 4 बीघा भूमि की राजस्व रेकर्ड में किस्म नाला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज गै.मु. तालाब, पाल, नाला, नाडी, नदी, बांध आदि जलभराव/ जलबहाव के क्षेत्र की भूमियां का आवंटन / नियमन नही किया जा सकता है एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भोत नही होते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीशन नम्बर 1536/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.8.2004 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैच द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29.5.2012 में जलग्रहण / जलबहाव क्षेत्र की भूमि का किया गया आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध मानते हुए राजस्व रेकर्ड की पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये गये है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थी को नाला किस्म की भूमि का आवंटन किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के विपरित है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाना उचित पाया जाता है।

अत: प्रार्थी तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री भंवरसिंह पुत्र श्री धनसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- कैलाशनगर को ग्राम कैलाशनगर, पटवार हल्का कैलाशनगर के खसरा संख्या 3267/1 रकबा 4 बीघा किस्म नाला भूमि का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय **सुनाया गया।**

न्यायालय अति० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

07/11/2017

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही